रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-75/2019/521/22-2-2019-17(181)/2017

लखनऊ: दिनांक: 12 जून, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी जगदीश (बन्दी संख्या-40541) पुत्र श्री मुल्लू मौर्य, जो-ग्राम-मूडा बुजुर्ग, थाना-भीरा, जनपद-लखीमपुर खीरी** का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-07/2003 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की धारा-302, 201, 506(2) के अधीन दिनांक 06.05.2005 को मा0 विशेष/अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, मेडिकल बोर्ड तथा दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर बंदी की वृद्धावस्था, बंदी द्वारा 15 वर्ष से अधिक अपरिहार, 19 वर्ष से अधिक काटी गयी सपरिहार सजा, संतोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बंदी किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये **जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-75/2019/521(1)/22-2-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
3- पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in